2225

(2)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.1255 hectare of forest land in favour of HP Home guards and Civil Defence Himachal Pradesh, for the construction of Home Guard Battalion Office and Transit Camp at Baloo, Mohal Sarol Pargana Rajinagar Chamba, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB921/2011 – CHA** दिनांक **23-04-2013** के परिणामस्वरूप राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा **0.1255** hectare of forest land in favour of HP Home guards and Civil Defence Himachal Pradesh, for the construction of Home Guard Battalion Office and Transit Camp at Baloo, Mohal Sarol Pargana Rajinagar Chamba, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नही है अतः कोई वृक्ष काटा नही जायेगा।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF Thanas में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 76,162/–(छियहत्तर हजार एक सौ बासठ मात्र) की राशि से कुल 0.5 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
4. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
5. An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
6. सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे क्रम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हो, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
9. A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kangra.

10 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अन्तर्गत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9–HPB921/2011 – CHA दिनांक 23-04-2013 में जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No.FFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 23-5-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh .
6. Commandant Home Guards, 8th Batallion Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
7. CCF,Chamba /DFO, Chamba Forest Division, Distt. Chamba H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

S/fca

प्रा०भू०म०पा० हि०प्र०
प्राप्ती सं० 998
दि० 28/5/13

ADcef(fca)
27/5/13